Uploading
19/09/2024

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
:: आदेश ::

भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर, 2024

क्रमांक एफ ए 3–32 / 2020 / एक(1)– अटल आश्रय योजनांतर्गत प्रदेश में कमजोर आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन एवं भूखण्ड विकास के लिए शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध कराने संबंधी प्रकरणों में विचार करने हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ ए 3–52 / 2011 / एक(1), दिनांक 21.10.2011 व्दारा मंत्रि–परिषद समिति का गठन एवं आदेश दिनांक 04.03.2014, 31.10.2014, 08.12.2015, 19.09.2016 व 14.10.2020 व्दारा मंत्रि–परिषद् समिति का पुर्नगठन किया गया है ।

2/ मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 से जारी "मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका क्रमांक–19, सरल क्रमांक–3(ख) में, ई.डब्ल्यू. एस. या कमजोर वर्ग के आवासीय प्रयोजन के लिये भूमि के बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत निर्धारित होने से, मंत्रि–परिषद समिति के पुनर्गठन की आवश्यकता नहीं रही हैं ।

3/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा आदेश दिनांक 21.10.2011 से गठित उपरोक्त मंत्रि–परिषद् समिति एवं आदेश दिनांक 04.03.2014, 31.10.2014, 08.12.2015, 19.09.2016 व 14.10.2020 से पुनर्गठित मंत्रि–परिषद समिति को विघटित करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय कटेसरिया)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्रमांक एफ ए 3–32 / 2020 / एक(1) — भोपाल,दिनांक 19 सितम्बर, 2024

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन भोपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग / राजस्व, मंत्रालय, भोपाल ।
4. विशेष सहायक / निज सचिव, संबंधित माननीय उपमुख्यमंत्री / मंत्री श्री, वित्त / खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल ।
6. आयुक्त जनसंपर्क, बाणगंगा, भोपाल ।
7. उप संचालक, जनसंपर्क मंत्रालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव (स्थापना) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग